रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102026-277495
CG-DL-E-30102026-277495

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5606] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 27, 2026/कार्तिक 5, 1948
No. 5606] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2026/KARTIKA 5, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5831(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3569(अ) तारीख 01.07.2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश) राज्य के लेह जिले में उपशी में सिंधु नदी पर NH-03 के लेह-सेरचू-मनाली रोड (मनाली को ज़ीरो मानकर) पर कि.मी. 423.87 से कि.मी. 424.087 के बीच 60 मीटर स्पैन वाले एक अलग बड़े पक्के पुल (उपशी पुल) के निर्माण के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "13/07/2026" को “अर्थ न्यूज़” और "14/07/2026" को “डेली रंगयुल” में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिर्पोट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपशी में एनएच-03 पर लेह-सरचू-मनाली मार्ग के किलोमीटर 423.87 से किलोमीटर 424.087 पर (मनाली को शून्य मानकर) सिंधु नदी के ऊपर 60 मीटर स्पैन वाले एक स्थायी पुल के निर्माणके लिए भूमि का अधिग्रहण।

राज्य का नाम: लद्दाख			जिले का नाम: लेह लदाख		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: खारू					
गांव का नाम: ईगु					
1	3368	निजी (बंजर, खेती के अयोग्य,)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0177	राज्य सरकार, किरायेदार का नाम: ताशी नुरबो पिता त्सेरिंग स्टोबदान और स्कलज़ंग नमगैल पिता दोरजे पंबर बराबर हिस्सेदारी, म्यूटेशन नंबर 961 और ऐलान नंबर 38 के तहत। 3368
2	3369	निजी (बंजर, खेती के अयोग्य,)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0101	राज्य सरकार, किरायेदार का नाम: ताशी नुरबो पिता त्सेरिंग स्टोबदान और स्कलज़ंग नमगैल पिता दोरजे पंबर बराबर हिस्सेदारी, म्यूटेशन नंबर 961 और ऐलान नंबर 38 के तहत। 3369
3	3412	सरकारी (बंजर, खेती के अयोग्य,)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0177	राज्य सरकार
गांव का नाम: उपशी					
4	38 मिन	सरकारी (नदी,)	नॉन एग्रीकल्चर	0.2175	राज्य सरकार

5	67 मिन	सरकारी (बंजर, खेती के अयोग्य,)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0354	राज्य सरकार
6	69 मिन	सरकारी (बंजर, खेती के अयोग्य,)	नॉन एग्रीकल्चर	0.1163	राज्य सरकार
7	73	सरकारी (बंजर, खेती के अयोग्य,)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0253	राज्य सरकार
8	74 मिन	सरकारी (बंजर, खेती के अयोग्य,)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0228	राज्य सरकार
9	77 मिन	निजी (बंजर, खेती के अयोग्य,)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0582	हेमिस गोम्पा, लामा तख्तसांग रास्पा कुशोक चकज़ोक नवांग जिगमत के माध्यम से (म्यूटेशन संख्या 9 के माध्यम से)
10	78 मिन	निजी (बंजर, खेती के अयोग्य,)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0506	हेमिस गोम्पा, लामा तख्तसांग रास्पा कुशोक चकज़ोक नवांग जिगमत के माध्यम से (म्यूटेशन संख्या 9 के माध्यम से)
			Total	0.5716	

[फा. सं. Secy/Rev/UTL/2021(123)/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

S.O. 5831 (E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 3569(E) Dated: 01/07/2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for Construction of Standalone 60 m Span Major Permanent Bridge at KM 423.87 to Km 424.087 on Road Leh-Sarchu-Manali (Taking Manali as Zero) on NH-03 over Indus River at Upshi in the district of LEH LADAKH in the Union Territory of LADAKH.

And whereas the substance of the said notification has been published in "Earth News" dated 13/07/2026, "Daily Rangyul" dated 14/07/2026; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the Land acquisition for Construction of Standalone 60 m Span Major Permanent Bridge at KM 423.87 to Km 424.087 on Road Leh-Sarchu-Manali (Taking Manali as Zero) on NH-03 over Indus River at Upshi in the Union Territory of Ladakh.

State: Ladakh			**District: LEH LADAKH**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Hectares)**	**Name of Land Owner/Interested Person**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Kharu					
Village: Igoo					
1	3368	Private (Barren /Uncultivable,)	Non Agriculture	0.0177	State Govt, Tenant: Tashi Nurbo S/O Tsering Stobdan and Skalzang Namgail S/O Dorjay Pamber equal Share vide Mutation No. 961 through Ailan no 38 3368
2	3369	Private (Barren/Uncultivable,)	Non Agriculture	0.0101	State Govt, Tenant Name: Tashi Nurbo S/O Tsering Stobdan and Skalzang Namgail S/O Dorjay Pamber equal Share vide Mutation No. 961 through Ailan no 38 3369
3	3412	Government (Barren /Uncultivable,)	Non Agriculture	0.0177	State Government
Village: Upshi					
4	38 Min	Government (River,)	Non Agriculture	0.2175	State Government
5	67 Min	Government (Barren/Uncultivable,)	Non Agriculture	0.0354	State Government
6	69 Min	Government (Barren /Uncultivable,)	Non Agriculture	0.1163	State Government
7	73	Government (Barren/Uncultivable,)	Non Agriculture	0.0253	State Government
8	74 Min	Government (Barren/Uncultivable,)	Non Agriculture	0.0228	State Government
9	77 Min	Private (Barren/Uncultivable,)	Non Agriculture	0.0582	Hemis Gompa, Lama Taktsang Raspa Kushok Through Chakzok Nawang Jigmat (vide mutation no. 9)
10	78 Min	Private (Barren /Uncultivable,)	Non Agriculture	0.0506	Hemis Gompa, Lama Taktsang Raspa Kushok Through Chakzok Nawang Jigmat (vide mutation no. 9)
			Total	**0.5716**	

[F. No. Secy/Rev/UTL/2021(123)/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.10.30 17:50:15 +05'30'